



# POLICE COMMISSIONERATE




## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 23.11.2022

#पुलिस कमिश्नर श्री आलोक सिंह के नेतृत्व में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर स्तर पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में थाना बिसरख ग्रेटर नोएडा की पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर सुदेश कुमार उर्फ टिल्लू पुत्र बिसम्बर सिंह के द्वारा अपराध कारित अर्जित की गयी लगभग 45 लाख रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किया गया।

पुलिस कमिश्नर श्री आलोक सिंह के नेतृत्व में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर स्तर पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इस कड़ी में दिनांक 23.11.2022 को पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत माननीय न्यायालय विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के वाद सं0 27/22 दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में अभियुक्त सुदेश कुमार उर्फ टिल्लू पुत्र बिसम्बर सिंह निवासी ग्राम चान्दनेर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड वर्तमान पता ए ब्लॉक म0न0 237 सेक्टर 47 थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर सम्बन्धित मु0अ0सं0 188/2022 अंतर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986, थाना बादलपुर ग्रेटर नोएडा के द्वारा अवैध रूप अपने साथियों के साथ मिलकर भौतिक एवं आर्थिक लाभ हेतु एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर एनसीआर क्षेत्र में आम जन से फर्जी चिट फण्ड कम्पनी बनाकर धोखाधडी कर अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति फ्लैट सं0 यूजी 02, टावर नं0 08, पंचशील हाईनेश सोसायटी थाना बिसरख जिसकी कीमत करीब 45 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क की गयी।

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्यवाही निरंतर स्तर पर जारी रहेगी।



**1-थाना सूरजपुर पुलिस पुलिस द्वारा,घरों में चोरी करने वाले 03 चोर गिरफ्तार, कब्जे से , आर्टिफिशियल ज्वैलरी, 01 मोटरसाईकल , भिन्न-भिन्न घटनाओं में चोरी किये गये कुल 44 हजार रुपये नगद व घटना मे प्रयुक्त सब्बल बरामद।**

दिनांक 22.11.2022 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 626/2022 धारा 380/457 भादवि0 के अंतर्गत घरों में चोरी करने वाले 03 चोर 1. रिजवान पुत्र अहमद अली निवासी मौहल्ला रुकनसराय ऊपरकोट बुलन्दशहर थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर 2. साजिद पुत्र तसव्वर निवासी मौहल्ला रुकनसराय ऊपरकोट बुलन्दशहर थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर, 3. माजिद पुत्र तसव्वर निवासी मौहल्ला रुकनसराय ऊपरकोट बुलन्दशहर थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर को तिलपता गोलचक्कर से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तो द्वारा दिनांक 15.11.2022 की रात्रि में थाना क्षेत्र बादलपुर स्थित एन0टी0पी0सी0 मोड पर अंग्रेजी शराब की दुकान में चोरी की गयी थी तथा अभियुक्त रिजवान व अमीर शाह के द्वारा दिनांक 20.11.2022 की रात्रि में जगत फार्म स्थित देशी शराब के ठेके का शटर तोडकर पैसो की चोरी की गई थी।

### **अभियुक्तों का विवरण-**

1. रिजवान पुत्र अहमद अली निवासी- मौहल्ला रुकनसराय ऊपरकोट बुलन्दशहर थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर
2. साजिद पुत्र तसव्वर निवासी- मौहल्ला रुकनसराय ऊपरकोट बुलन्दशहर थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर
- 3.माजिद पुत्र तसव्वर निवासी- मौहल्ला रुकनसराय ऊपरकोट बुलन्दशहर थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

- 1.मु0अ0सं0 626/2022 धारा 457/380/411 भादवि0 बनाम प्रकाश में आये , रिजवान, साजिद , माजिद व अमीर शाह उपरोक्त
- 2.785/2022 धारा 414 भादवि0 बनाम रिजवान, साजिद,माजिद उपरोक्त ।

### **आपराधिक इतिहास का विवरण-**

#### अभियुक्त रिजवान-

- 1.मु0अ0सं0 125/2018 धारा 380/457/411 भादवि0 थाना नालेज पार्क जीबीएन।
2. मु0अ0सं0 318/2018 धारा 380/457/411 भादवि0 थाना बीटा 2 जीबीएन।
3. मु0अ0सं0 319/2018 धारा 380/457/411 भादवि0 थाना बीटा 2 जीबीएन।
- 4.मु0अ0सं0 349/2018 धारा 41 सीआरपीसी थाना बीटा 2 जीबीएन।
- 5.मु0अ0सं0 780/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बीटा 2 जीबीएन।
- 6.मु0अ0सं0 205/2018 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इकोटेक 3
- 7.मु0अ0सं0 0246/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बुलन्दशहर जनपद बुलन्दशहर ।
- 8.मु0अ0सं0 920/2014 धारा 379/411 भादवि0 थाना फेस 2 जीबीएन।
- 9.मु0अ0सं0 0040/2014 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक 3 जीबीएन।
- 10.मु0अ0सं0 0032/2014 धारा 379/411 भादवि0 थाना इकोटेक 3 जीबीएन।

- 11.मु0अ0सं0 903/2014 धारा 379/411 भादवि0 थाना फेस 2 जीबीएन।
- 12.मु0अ0सं0 1569/2016 धारा 420/379/411 भादवि0 थाना सेक्टर 20 जीबीएन।
- 13.मु0अ0सं0 0043/2014 धारा 379/411/414 भादवि0 थाना इकोटेक 3 जीबीएन।
- 14.मु0अ0सं0 0010/2014 धारा 379/411/414 भादवि0 थाना इकोटेक 3 जीबीएन।
- 15.मु0अ0सं0 0062/2015 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना इकोटेक 3 जीबीएन।
- 16.मु0अ0सं0 0025/2014 धारा 302/201/364/34 भादवि0 थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर ।
- 17.मु0अ0सं0 213/2014 धारा 302 भादवि0 थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।
- 18.मु0अ0सं0 276/2013 धारा 102/14(1)(क)/411/414 भादवि0 थाना कोतवाली बुलन्दशहर जनपद बुलन्दशहर।
- 19.मु0अ0सं0 695/2013 धारा 380/411 भादवि0 थाना कोतवाली बुलन्दशहर जनपद बुलन्दशहर।
- 20.मु0अ0सं0 775/2013 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना कोतवाली बुलन्दशहर जनपद बुलन्दशहर।
- 21.मु0अ0सं0 776/2013 धारा 398/401 भादवि0 थाना कोतवाली बुलन्दशहर जनपद बुलन्दशहर।
- 22.मु0अ0सं0 737/2022 धारा 380/411 भादवि0 थाना बीटा 2 जीबीएन ।
- 23.मु0अ0सं0 337/2022 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना बादलपुर जीबीएन ।

#### अभियुक्त साजिद उपरोक्त

- 1.मु0अ0सं0 397/2021 धारा 392/411 भादवि0 थाना दनकौर जीबीएन ।
- 2.मु0अ0सं0 246/2014 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बुलन्दशहर जनपद बुलन्दशहर।
- 3.मु0अ0सं0 695/2013 धारा 380/411 भादवि0 थाना कोतवाली बुलन्दशहर जनपद बुलन्दशहर।
- 4.मु0अ0सं0 776/2013 धारा 398/401 भादवि0 थाना कोतवाली बुलन्दशहर जनपद बुलन्दशहर।
- 5.मु0अ0सं0 228/2015 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना दादरी जीबीएन।
- 6.मु0अ0सं0 737/2022 धारा 380/411 भादवि0 थाना बीटा 2 जीबीएन।
- 7.मु0अ0सं0 337/2022 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना बादलपुर जीबीएन।

#### **बरामदगी का विवरण-**

1. चोरी की घटना में प्रयुक्त एक सब्बल
  2. 44000 हजार रुपये नगद ( 30,000/- रुपये (मु0अ0सं0 737/2022 थाना बीटा-2) , 10,000/-रुपये (मु0अ0सं0 626/2022 थाना सूरजपुर ), 4000/- रुपये (मु0अ0सं0 337/2022 थाना बादलपुर से सम्बन्धित )
  - 3.एक जोड़ी पायल व दो जोड़ी झुमके आर्टिफिशियल ( मु0अ0सं0 626/2022 थाना सूरजपुर से सम्बन्धित )
1. एक चोरी की मोटरसाईकिल हीरो एच0एफ डीलक्स



**2-थाना इकोटेक-3 पुलिस और लुटेरे बदमाश के बीच हुई मुठभेड में 01 लुटेरा बदमाश घायल व गिरफ्तार, कब्जे से 01 मो0सा0, 01 अवैध तमंचा मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।**

दिनांक 23.11.2022 को थाना इकोटेक-3 पुलिस तथा लुटेरे बदमाश के बीच आम्रपाली मॉल के पीछे हुई मुठभेड में बदमाश आबिद पुत्र रहीसुद्दीन निवासी ग्राम सुनपुरा थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर पैर में गोली लगने के कारण घायल अवस्थ मे गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाश के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस व चोरी की 01 मोटरसाइकिल स्पलेन्डर बरामद की गई है। घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है।

#### **विवरण:**

दिनांक 20.10.2022 को थाना इकोटेक 3 के मिलेनियम स्कूल के पास से अभियुक्त साहिल द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर एक पोलो कार जिसका नं0 यूपी 16 एवी 9262 लूटी गयी थी । जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 434/2022 धारा 342/392 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्त के अन्य साथियो को पुलिस द्वारा पूर्व मे गिरफ्तार जेल भेजा जा चुका है।

#### **अभियुक्त का विवरण:**

आबिद पुत्र रहीसू निवासी ग्राम सुनपुरा थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर ।

#### **पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण:**

- 1.मु0अ0सं0 410/2017 धारा 60/63 आब0अधि0 थाना इकोटेक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर
- 2.मु0अ0सं0 196/2018 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इकोटेक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर
- 3.मु0अ0सं0 434/2022 धारा 342/392 भादवि थाना इकोटेक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर
- 4.मु0अ0सं0 478/2022 धारा 307/411/414 भादवि थाना इकोटेक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर
- 5.मु0अ0सं0 479/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर

#### **बरामदगी का विवरण:**

1. 01 मोटरसाइकिल
2. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस